it. ((*Interruptions*) We will first find out what is the basis.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मैडम, आज तो दूरदर्शन के लिए छेद किया गया, कल एनडी टीवी के लिए, आज तक के लिए और सब के लिए एक छेदा किया जाएगा। तो यह देखने की बात है।....(**व्यवधान**).... सिस्टम, को बदलने की जरूरत है। वह तो अपने आपको लिबरेट करने जा रहे हैं आजाद होने जा रहे हैं। ज्यों ही वह आजाद होगा तब और भी ऐसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया हैं, सब कहेंगे कि हम अपना कैमरा लगाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: After whatever the Chair says, I do not think there is any need to discuss this matter till we get the report.(*Interruptions*)

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (ANDHRA PRADESH): Madam, we fully appreciate the views expressed by you. I would only like to know, and I am sure the whole House would like to know whether these cameras are of doordarshan or whether they are installed for security purpose.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, you came a little late and you did not hear the whole thing that I said. I will tell you. The parliamentary Affairs Minister, Smt. Jayanthi Natarajan, has said that they are Doordarshan Cameras. When she says it, I believe that they would be Doordarshn Cameras.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Do we take this as a statement made by the Minister for Parliamentary Affairs Minister on the floor of the House?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Naturally, if any statement is made on the floor of the House, it is a statement made on the floor of the House.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: (उत्तर प्रदेश) दूरदर्शन का अदूरदर्शितापूर्ण काम है।..(व्यवधान)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is over. (*Interruptions*)

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The IB has imposed these in all other Ministries and Departments. So, it could be that the IB holes are there in Information and Broadcasting. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know if there are more perhpas. (*Interruptions*) There are a lot of holes over here.

RE: NEED TO BAN ARUN SHOURIE'S BOOK ENTITLED 'FALSE GODS'

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): मैडम, एक बहुत ही घटिया मानसिकता के इंसान ने एक बहुत ही घटिया किताब लिखी, जो कल हमारे दूसरे सदन में फाड़ कर उस सदन के वैल में फेंकी गई। आज एस०सी०,एस०टी० का जो फोरम है एम०पीज० का, उसके सदस्यों के सामने आज उस किताब को विश्व-वंदनीय बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जलाया गया। मैं किताब की ओर आपका, पूरे सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किताब का नाम है- "फाल्स गोड", और लेखक का नाम है अरूण शौरी। उन्होंने यह डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लिखी है और यह सिद्ध करने की झूठी, असत्य कोशिश की है कि डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय नहीं थे, राष्ट्र भावना से प्रेरित नहीं थे उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया। एक ऐसी गलत बात इस किताब के माध्यम से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है।

महोदय, बहुत दिनों से हम दलितों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सब सहमत हुए हैं दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर कि जिस तरह का माहौल देश में बनता है उस माहौल की परिणति ही ऐसी घटनाओं की तरफ ले जाती है। यह किताब इस तरह की किताब ऐसा माहौल बनाने में सहायक सिद्ध होती है। मैं यह मानता हूं कि जो घटना मुम्बई में हुई और अन्य स्थानों में हुई, ऐसी ही किताब को पढ़कर लोग आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ऐसी बातें सोचते हैं।

महोदया, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। जिन बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अरूण शौरी ने ऐसी बातें लिखी हैं, उनके लिए देश के दूसरे महान नेताओं ने क्या कहा है, वह मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय गांधी जी ने कहा था - A patriot of sterling worth. Shri C. Rajagopalachari had said, A thoroughly upright person and a man with keen jurisprudence, proud and irreconcilable, with great learning and full

of friendliness. Shri Jawaharlal Nehru had said, 'A Symbol of revolt against all the oppressive features of Hindu society. He is a jewel in my Cabinet.' Dr. Rajendra Prasad had said, 'We could only make a decision which could be ever so right as when we put Dr. Ambedkar in the Drafting Committee and made him the Chairman. He has not only justified his selection but has added lustre to the work he has done.' Shri T.T. Krishnamachari had said, 'I have no doubt we are grateful to him for having achieved this task in a manner which undoubtedly is commendable.

बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें उनके बारे में कही हैं और यह घटिया मानसिकता के व्यक्ति ने ऐसी बातें उनके बारे में कहीं। मैंने वह किताब पढ़ी है और बहुत आहत हृदय से यह बात कह रहा हूं। कि यह एक ऐसी मिसाल है देश में कि आउट आफ कान्टेक्सट क्वोट करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता है, तो यह मिसाल यह किताब है। जो चीज़ें जिस संदर्भ में कही गई, जिस संदर्भ मे लिखी गई, उस संदर्भ में उनको न कहकर दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत करके एक ऐसे महान व्यक्ति को, जिसको इस देश के दलित और न केवल दलित बल्कि सारे देश के लोग पूजते हैं, पूरा देश इसको विश्व वंदनीय मानता है, प्रातः स्मरणीय मानता है, उसके व्यक्तित्व को इस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। यह वही लेखक है जिसने एक समय में इस देश की अक्लियत को निशाना बनाया था और अब उसने इस देश के दलितों को अपना निशाना बनाया है। यह ऐसा लेखक है जो न जाने क्यों भारत के इस समाज को इन दीवारों में बांटकर तोड़ना चाहता है।

इसलिए, उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घिनौनी और घटिया किताब को चलने नहीं देना चाहिये, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिये, जहां-जहां वह है वहां से उसको ज़ब्त कर लेना चाहिए और इस देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को यह किताब पढ़ने नहीं देनी चाहिये। एक बात जो गांधी जी ने उनके बारे में कही थी...

उपसभापति: अभी आपने काफी कह दिया, सारा सदन आपके साथ सहमत है।

श्री अजीत जोगी: सरकार यहां बैठी हुई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि इस देश के 25 परसैंट लोगों की यह आवाज़ है, आप कृपया इस किताब को प्रतिबंधित करने की घोषणा करिए।

उपसभापति: सारा सदन आपके साथ सहमत है।

कई माननीय सदस्य: हम आपके साथ सहमत हैं।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं....

उपसभापति: बस हो गया। ...**(व्यवधान)**...It would not go on record if you would go on speaking like this. ...*(Interruptions)*... On an issue about which the whole House is concerned, it looks very bad if individuals like to go ahead of each other. It means the others do not feel that. Then they will also get up and I have to permit them. So, please have some dignity about a thing which is so serious. The Government is here. Mrs. Natarajan is here. She will convey to the Government the sentiments of the entire House. do not take such matters on indvidual lines or on party lines. Take it as a concern of the people's representatives.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I fully share the anguish expressed by the hon. Members and the sentiments expressed by the Chair. It is a very serious matter. I would like to condemn it. I have not seen the book which Mr. Jogi and other hon. Members were referring to. I would like to condemn such a statement about a highly respected and cherished national leader like Dr. Ambedkar. I will convey the sentiments of the hon. Members to the Prime Minister and also to the Home Minister. I will also convey the sentiments of the Members that this book should be prescribed. I would request them on behalf of the House to take action as soon as possible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In fact, in the centenary year of Baba Saheb Amedkar, a film is being commissioned by the Central Government and the

Committee on his life and contribution to the Constitution. They approached us and the hon. Speaker to film it in the Central Hall of Parliament as well as to film a portion of our Chamber because Baba Saheb Ambedkar had never been a Member of the Lok Sabha. He was a Member of the Constituent Assembly as well as of the Rajya Sabha. The then hon. Chairman, who is the President now, asked me to look into this matter. He asked me to discuss this matter with them. I have taken a decision that for one time only, considering the importance of his contribution to the Constitution and the value of the film which will depict how the Constitution was drafted, how it was argued at various points of time how every idea was put together in the sacred book by which all of us take oath, this film can either be taken here and the Chamber could be photographed, or they could be allowed to have a special stage or set only for one time. I have allowed it for one time only because we never allow any thing for any other leader. This is allowd only for one time out of our respect for Baba Saheb Ambedkar and the Constutition of India.

[उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) पीठासीन हुए]

RE: GOVERNMENT'S FAILURE TO HANDLE FERA VIOLATION CASES

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश में फेरा उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मामले बढ़ रहे हैं और इन मामलों के निपटारे में सरकार फेल हो रही है। ये बहुत सारे मामले हैं। मैं 2 मामलों का जिक्र करना चाहता हूं और एक मामले की डिटेल में जाना चाहता हूं। महोदय, इनमें एक तो आई०टी०सी० का मामला था और दूसरा टाईम्स आॅफ इंडिया और बैनेट ऐंड कोलमैन के मालिक अशोक जैन का मामला था। महोदय, सच क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महोदय, प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है और वे छानबीन नहीं कर पा रहे हैं। जब कि अशोक जैन का कहना है कि उनके विरोधी प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उनसे बदला लेना चाह रहे हैं। महोदय, मुझे सच जानना है।

महोदय, मैं आपको यह बताते हुए खुश हूं कि मैंने 17 दिसंबर, 1996 को अशोक जैन से जुड़ा हुआ मुद्दा इस सदन में उठाया था। मेरा एक स्टार्ड क्वेश्चन आया था और मैंने वित्त मंत्री महोदय से 17 दिसंबर, 1996 को पूछा था कि क्या कोई फेरा वॉयोलेशन केस अशोक जैन के खिलाफ लंबित है? अगर लंबित है तो क्या छानबीन की जा रही है? महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि यह मैटर सब-जुडिस है, इसलिए छानबीन रोक दी गई है, जब कि सच यह था कि 8 अक्टूबर, 1996 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय सुना दिया था कि यह मामला अब सब-जुडिस नहीं है और इसकी छानबीन सी०बी०आई० जैसी एजेंसी के थू होनी चाहिये। महोदय, यह 17 दिसंबर, 1996 का सवाल था और 4 जनवरी, 1997 को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने श्री अशोक जैन के घर पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की। मैंने वित्त मंत्री को खत लिखा कि या तो आप गलत हैं या प्रवर्तन निदेशालय गलत है। अगर मैटर सब-जुडिस है तो छानबीन क्यों हुई? अगर मैटर सब-जुडिस नहीं है तो आपने सदन को गुमराह क्यों किया? वित्त मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। इस बीच श्री अशोक जैन विदेश चले गए बीमारी के बहाने। हमारे यहां अक्सर लोग बीमारी के बहाने छानबीन से बचते रहते हैं। यह सत्य है। मैंने फिर चिट्ठी लिखी वित्त मंत्री को और पूछा कि क्या ऐसे तमाम अभियुक्तों को विदेश जाने दिया जाता है? क्या यह सुविधा तमाम फेरा अभियुक्तों को मिलेगी या मिलती रही है? मैंने पूछा कि अगर ऐसा है तो बाकी लोगों के पासपोर्ट क्यों ज़ब्त किए जाते रहे हैं? वित्त मंत्री का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनके खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस दिया। उसका जवाब आया और उन्होंने मुझे बताया कि हम इस मामले की छानबीन करेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है (समय की घंटी) । महोदय, मुझे थोड़ा विस्तार से बोलने का मौका दिया जाए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): जीरो आॅवर सबमिशन में विस्तार से नहीं बोलते, केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला जाता है। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री संजय निरूपम: मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। वित्त मंत्री ने मुझे बताया कि 19 दिसंबर, 1996 को प्रवर्तन निदेशालय को कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्डिक्ट की आॅथैटिकेटेड कॉपी मिली। जब कि 23 दिसंबर, 1996 को